न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 150/2022

1. प्रवन चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. बिमला देवी स्त्री महेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील अ0 धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 05.08.2022 बअदालत तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बिमला वगैरह मु0न0 40/2022 अ0 धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर उपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.11.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार जमीन हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन खसरा नम्बर 238 रकबा 1.38 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम श्यामपुरा तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। उक्त जमीन के गत खसरा नम्बर 144 थे। उक्त जमीन वर्तमान मे गलत रूप से मन्दिर श्री सत्यनारायण की खातेदारी मे दर्ज है जबकि उक्त जमीन अपीलान्ट के पूर्वजों के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन रही है। दिनांक 09.05.2022 को पटवारी हल्का केहरपुरा कला ने रिपोर्ट बनाई की अपीलान्ट ने उक्त जमीन पर तारबन्दी करके व पक्के पकान बनाकर व कुआ बनाकर अतिक्रमण कर लिया। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर अदालत मातहत के समक्ष धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 05.08.2022 को आलौच्य निर्णय पारित किया जिसके विरूद्ध मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांकित 05.08.2022 खिलाफ कानून न्याय व तथ्यों के है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट की जबाबदेही को नजर अंदाज किया है। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। जमीन हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.01 हैक्टर खसर नम्बर 238 रकबा 1.38 हैक्टर वाके ग्राम श्यामपुरा तहत तहसील चिडावा में स्थित है उक्त जमीन अपीलान्ट के पूर्वजों की जमीन है। सैटलमेन्ट से पूर्व उक्त जमीन अपीलान्ट के पूर्वजो के कब्जे काश्त व खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

की रही है। कानून से मन्दिर की जमीन पर काश्त करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती यानि मन्दिर की जमीन पर काबिज व्यक्ति को धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरूद्ध ही लागू होती है। मन्दिर की खातेदारी की जमीन राजकीय नही होती इस कारण मन्दिर की जमीन पर धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिक है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति मन्दिर की जमीन पर बिना अधिकार के जबरन कब्जा करता है तो उसके विरूद्ध धारा 183 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में बेदखल करने के लिए रेगुलर दावा पेशकर बाद साक्ष्य सबूत बेदखल करने का ही प्रावधान है। कानून से जहां किस्म जमीन व सद्भाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां सद्भाविक काबिज व्यक्ति को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अमल में लाई गई धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप होने योग्य है। जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 वाके ग्राम श्यामपुरा की जमीन के गत खसरा नम्बर 144 थे। जमीन गत खसरा नम्बर 144 की जमीन कभी भी मन्दिर श्री सत्यनारायण की खातेदारी में कभी नही रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से पूर्व से ही उक्त जमीन प्रार्थी प्रवन के दादाजी दीपा पुत्र रेखा के कब्जे काश्त मे रही है। उक्त जमीन का लगान भी दीपा पुत्र सुखा ने तत्कालीन ठिकाना को ही अदा किया है। उक्त जमीन कभी भी मूर्ति मन्दिर सत्यनारायण की खुद काश्त में नही रही। जमाबन्दी सम्वत 2012 व जमाबन्दी सम्वत 2013 व जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 में उक्त जमीन प्रार्थी प्रवन के दादाजी दीपा की खुदकाश्त में है तथा खसरा गिरदावरियों में भी उक्त जमीन दीपा द्वारा काश्त करना अंकित है। जमाबन्दी संवत् 2021 में उक्त जमीन जरिये पर्चा नम्बर 1 के उक्त जमीन दीपा की खातेदारी में दर्ज की गई है तथा जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में भी उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 144 हाल खसरा नम्बर 237 व 238 ग्राम श्यामपुरा उक्त दीपा की खातेदारी में दर्ज है। उक्त जमीन प्रार्थीगण को उत्तराधिकार में मिली है। इस जमीन में प्रार्थीगण के मकान व कुआ कदीमी है। उक्त जमीन दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से मूर्ति मन्दिर सत्यनारायण जी की खातेदारी में गलत दर्ज कर दी जबकि संवत् 2012 में उक्त जमीन मूर्ति मन्दिर की खातेदारी खत्म करने का क्षेत्राधिकार भी नही है। उक्त जमीन की खातेदारी की घोषणा के लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी पवन ने जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 ग्राम श्यामपुरा में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 256/239 वाके श्यामपुरा में से कटानी रास्ते बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय में धारा 215 (ए) आर0टी0 एक्ट का प्रार्थना पेश किया जिसका उनवान मन्दिर श्री सत्यनारायण बनाम हंसराम मु0न0 119/2020 है जिसमें दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय ने सिर्फ पारित कर प्रार्थना को स्वीकार किया है जिस मु0न0 119/2022 में मौका की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक ने बनाकर तहसीलदार चिडावा के यहां पेश करने पर तहसीलदार चिडावा ने उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय में पेश की। इस प्रकार जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 पर तहसीलदार ने प्रार्थी प्रवन को खातेदार मानकर उक्त जमीन के लिए रास्ता कटानी बाबत अपनी मौका रिपोर्ट बनाई है तथा डी0एल0सी0 रेट कायम की है इस प्रकार तहसीलदार चिडावा यानि माननीय न्यायालय प्रार्थीगण को उक्त जमीन पर अतिक्रमी नही मान सकते तथा अपनी स्वीकृति से मुकर नही सकते। धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय की तरफ से कोई जबाब भी उक्त आशय का पेश नही किया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नही किया। आलौच्य निर्णय में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नही किया। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 05.08.2022 खारीज किया जाकर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अमल में लाई गई धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 15:14:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट की जबाबदेही को नजर अंदाज किया है। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91

जिला कलक्टर झुन्झुनू

एल0आर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। जमीन हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 238 रकबा 1.38 हैक्टर वाके ग्राम श्यामपुरा तहत तहसील चिडावा में स्थित है उक्त जमीन अपीलान्ट के पूर्वजों की जमीन है। सैटलमेन्ट से पूर्व उक्त जमीन अपीलान्ट के पूर्वजो के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है। कानून से मन्दिर की जमीन पर काश्त करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती यानि मन्दिर की जमीन पर काबिज व्यक्ति को धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरूद्ध ही लागू होती है। मन्दिर की खातेदारी की जमीन राजकीय नही होती इस कारण मन्दिर की जमीन पर धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिक है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति मन्दिर की जमीन पर बिना अधिकार के जबरन कब्जा करता है तो उसके विरूद्ध धारा 183 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में बेदखल करने के लिए रेगुलर दावा पेशकर बाद साक्ष्य सबूत बेदखल करने का ही प्रावधान है। कानून से जहां किस्म जमीन व सद्भाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां सद्भाविक काबिज व्यक्ति को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नही किया जा सकता। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अमल में लाई गई धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप होने योग्य है। जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 वाके ग्राम श्यामपुरा की जमीन के गत खसरा नम्बर 144 थे। जमीन गत खसरा नम्बर 144 की जमीन कभी भी मन्दिर श्री सत्यनारायण की खातेदारी में कभी नही रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से पूर्व से ही उक्त जमीन प्रार्थी प्रवन के दादाजी दीपा पुत्र रेखा के कब्जे काश्त मे रही है। उक्त जमीन का लगान भी दीपा पुत्र सुखा ने तत्कालीन ठिकाना को ही अदा किया है। उक्त जमीन कभी भी मूर्ति मन्दिर सत्यनारायण की खुद काश्त में नही रही। जमाबन्दी सम्वत 2012 व जमाबन्दी सम्वत 2013 व जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 में उक्त जमीन प्रार्थी प्रवन के दादाजी दीपा की खुदकाश्त में है तथा खसरा गिरदावरियों में भी उक्त जमीन दीपा द्वारा काश्त करना अंकित है। जमाबन्दी संवत् 2021 में उक्त जमीन जरिये पर्चा नम्बर 1 के उक्त जमीन दीपा की खातेदारी में दर्ज की गई है तथा जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में भी उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 144 हाल खसरा नम्बर 237 व 238 ग्राम श्यामपुरा उक्त दीपा की खातेदारी में दर्ज है। उक्त जमीन प्रार्थीगण को उत्तराधिकार में मिली है। इस जमीन में प्रार्थीगण के मकान व कुआ कदीमी है। उक्त जमीन दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से मूर्ति मन्दिर सत्यनारायण जी की खातेदारी में गलत दर्ज कर दी जबकि संवत् 2012 में उक्त जमीन मूर्ति मन्दिर की खातेदारी खत्म करने का क्षेत्राधिकार भी नही है। उक्त जमीन की खातेदारी की घोषणा के लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी पवन ने जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 ग्राम श्यामपुरा में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 256/239 वाके श्यामपुरा में से कटानी रास्ते बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय में धारा 215 (ए) आर0टी0 एक्ट का प्रार्थना पेश किया जिसका उनवान मन्दिर श्री सत्यनारायण बनाम हंसराम मु0न0 119/2020 है जिसमें दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय ने सिर्फ पारित कर प्रार्थना को स्वीकार किया है जिस मु0न0 119/2022 में मौका की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक ने तहसीलदार चिडावा के यहां पेश करने पर तहसीलदार चिडावा ने उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय में पेश की इस प्रकार जमीन हाल खसरा नम्बर 237 व 238 पर तहसीलदार ने प्रार्थी प्रवन को खातेदार मानकर उक्त ... के लिए रास्ता कटानी बाबत अपनी मौका रिपोर्ट बनाई है तथा डी0एल0सी0 रेट ... नही है इस प्रकार तहसीलदार चिडावा यानि माननीय न्यायालय प्रार्थीगण को उक्त जमीन पर अतिक्रमी नही मान ... तथा अपनी स्वीकृति से मुकर नही सकते। धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय की तरफ से कोई जबाब भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उक्त आशय का पेश नही किया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नही किया। आलौच्य निर्णय में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 05.08.2022 खारीज किया जाकर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अमल में लाई गई धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन खसरा नम्बर 238 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म गै0मु0कुआ मे से 0.01 है0 एवं ख0न0 238 कुल रकबा 1.38 हैक्टर किस्म जाव 1 रकबा 0.15 है0 एवं किस्म चाही–1 रकबा 1.23 है0 1.38 हैक्टर पर तारबन्दी पक्के मकान व कुआ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की खातेदारी मूर्ति मंदिर श्री सत्यनारायणजी है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। विवादित मंदिर खातेदारी की भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत मे अपीलान्ट की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन खसरा नम्बर 238 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म गै0मु0कुआ मे से 0.01 है0 एवं ख0न0 238 कुल रकबा 1.38 हैक्टर किस्म जाव 1 रकबा 0.15 है0 एवं किस्म चाही–1 रकबा 1.23 है0 1.38 हैक्टर पर तारबन्दी पक्के मकान व कुआ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी खातेदारी मूर्ति मंदिर श्री सत्यनारायणजी है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। इस प्रकार की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण वैध नही माना जा सकता है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 15:14:21 IST
Reason: SelfAttested